



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042023-245095  
CG-DL-E-11042023-245095

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]  
No. 233]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 11, 2023/चैत्र 21, 1945  
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2023/CHAITRA 21, 1945

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023

**F.1-13/2022(CPP-II).**—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2019 के अधिक्रमण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, नामतः:-

**1. संक्षिप्त नाम, विनियोग और प्रारंभ:**

- (क) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 कहा जाएगा।
- (ख) वे ऐसे सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर लागू होंगे, जिन्हें किसी केंद्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के तहत स्थापित या निगमित गया हो और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के तहत मान्यता-प्राप्त सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों तथा ऐसे सभी सम विश्वविद्यालय संस्थानों पर लागू होंगे जिन्हें तत्संबंध की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो।

(ग) वे शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

## 2. उद्देश्य:

किसी संस्थान में पहले से ही नामांकित छात्रों और साथ ही ऐसे संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक छात्रोंकी कतिपय शिकायतों के निवारण के लिए अवसर प्रदान करना और उसके लिए एक तंत्र स्थापित करना।

## 3. परिभाषा:

(1) जब तक कि इन विनियमों केसंदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) "अधिनियम" का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) से है;
- (ख) "पीडित छात्र" से अभिप्राय किसी ऐसे छात्र से है जिसे इन विनियमों के तहत परिभाषित शिकायतों के संबंध में किसी मामले अथवा तत्संबंधी किसी मामले में कोई शिकायत हो।
- (ग) "महाविद्यालय" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (1) के खंड (ख) में इस प्रकार से परिभाषित किसी संस्थान से है।
- (घ) "आयोग" से अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है।
- (ङ) "घोषित प्रवेश नीति" का अभिप्राय संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए संस्थान की विवरणिका में प्रकाशित की गई किसी ऐसी नीति से है, जिसमें उसके अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं।
- (च) "शिकायत" का अभिप्राय, और इसमें निम्नवत् के संबंध में किसी पीडितछात्र द्वारा की गई शिकायत (शिकायतें) शामिल हैं, नामतः:
  - i. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुरूप निर्धारित की गई योग्यता के विपरीत प्रवेश दिया जाना;
  - ii. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के तहत प्रक्रिया में अनियमितताएं;
  - iii. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुरूप प्रवेश देने से इंकार किया जाना;
  - iv. इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप, संस्थान द्वारा विवरणिका का प्रकाशन न किया जाना;
  - v. संस्थान द्वारा विवरणिका में ऐसी कोई जानकारी देना जोकि झूठी या भ्रामक होऔर तथ्यों पर आधारित न हो;
  - vi. किसी छात्र द्वारा ऐसे संस्थान में प्रवेश लेने के प्रयोजन से जमा किए गए किसी दस्तावेज जोकि उपाधि, डिप्लोमा या किसी अन्य पुरस्कार के रूप में हो,उसको अपने पास रख लेना या वापस करने से इंकार करना ताकि ऐसे किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के संबंध में छात्र को किसी शुल्क अथवा शुल्कों का भुगतान करने हेतु तैयार किया जा सके अथवा मजबूर किया जा सके जिसमें छात्र अध्ययन नहीं करना चाहता हो;
  - vii. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति में निर्धारित राशि से अधिक धनराशि की मांग करना।
  - viii. छात्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रवेश में सीटों के आरक्षण के संबंध में वर्तमान में लागू किसी कानून का संस्थान द्वारा उल्लंघन किया जाना;

- ix. ऐसे किसी संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के तहत अथवा आयोग द्वारा विहित किन्हीं शर्तों, यदि कोई हो तो, के तहत किसी भी छात्र हेतु ग्राह्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का भुगतान नहीं किया जाना अथवा विलम्ब से भुगतान किया जाना;
  - x. संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर में अथवा आयोग द्वारा विहित ऐसे किसी कैलेंडर में विनिर्दिष्ट अनुसूची से इतर परीक्षाओं के आयोजन में अथवा परीक्षा के परिणामों की घोषणा में विलम्ब करना;
  - xi. विवरणिका में यथा उल्लिखित अथवा संस्थान द्वारा लागू किसी कानून के किसी उपबंध के तहत यथा अपेक्षित छात्रों की सुविधा प्रदान करने में संस्थान द्वारा विफल रहना;
  - xii. छात्रों के मूल्यांकन के लिए संस्थान द्वारा अपनाई गई गैर-पारदर्शी अथवा अनुचित पद्धतियां;
  - xiii. ऐसे किसी छात्र को शुल्क के प्रतिदाय में विलंब करना, अथवा इंकार करना जो कि विवरणिका में उल्लिखित समय के भीतर, बशर्ते यह समय-समय पर आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन हो, नामांकन वापस लेता है;
  - xiv. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक अथवा दिव्यांग श्रेणियों के छात्रों से कथित भेदभाव की शिकायत;
  - xv. प्रवेश दिए जाने के समय जैसा भरोसा दिलाया गया था अथवा प्रदान किया जाना अपेक्षित था के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं किया जाना;
  - xvi. छात्र के उत्पीड़न के अन्य मामलों के अलावा जिन पर वर्तमान में लागू किसी कानून के दंडात्मक उपबंधों के तहत कार्रवाई की जानी हो, छात्र का उत्पीड़न किया जाना अथवा उसे निशाना बनाया जाना।
  - xvii. संस्थान के कानूनों, अध्यादेशों, नियमों, विनियमों, या दिशा-निर्देशों के विपरीत कोई कार्रवाई किया जाना अथवा शुरू किया जाना; तथा
  - xviii. आयोग और/अथवा संबंधित नियामक निकाय द्वारा बनाए गए/जारी किए गए नियमों और/या दिशा-निर्देशों के विपरीत कोई भी कार्रवाई किया जाना अथवा शुरू किया जाना।
- (छ) "संस्थान" से तात्पर्य विश्वविद्यालय से है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (एफ) में परिभाषित है, एक संस्थान जिसे अधिनियम 3 के तहत विश्वविद्यालय माना गया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12ए (1) (बी) में परिभाषित एक महाविद्यालय से है।
- (ज) "लोकपाल" का अभिप्राय इन विनियमों के तहत नियुक्त लोकपाल से है।
- (झ) "विवरणिका" का अभिप्राय और इसमें ऐसा कोई प्रकाशन शामिल है, चाहे वह मुद्रित स्वरूप में अथवा अन्यथा हो, जिसे जनसाधारण (जिसमें ऐसे संस्थान में प्रवेश पाने के इच्छुकों सहित) को एक संस्था से संबंधित निष्पक्ष और पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के लिए ऐसे संस्थान अथवा किसी प्राधिकरण अथवा ऐसे संस्थान द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया हो;
- (ञ) "छात्र" से अभिप्राय किसी ऐसे संस्थान जिसमें यह विनियम लागू होते हैं, में किसी भी माध्यम से अर्थात् औपचारिक/मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल)/ऑनलाइन से नामांकित किसी व्यक्ति अथवा नामांकित होने के लिए प्रवेश प्राप्ति के इच्छुक से हैं;

- (ट) "छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी)" का अभिप्राय एक संस्थान के स्तर पर इन विनियमों के तहत गठित एक समिति से है; तथा
- (ठ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 2 की खंड (च) में यथा परिभाषित किसी विश्वविद्यालय से है अथवा जहां संदर्भ के अनुसार, तत्संबंध की धारा 3 के तहत इस प्रकार घोषित कोई सम विश्वविद्यालय संस्थान से है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में उनके लिए निर्धारित किए गए हैं।

#### 4. विवरणिका का अनिवार्य प्रकाशन, इसकी विषयवस्तु तथा मूल्य निर्धारण

- (1) प्रत्येक संस्थान, अपने पाठ्यक्रम या अध्ययन के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश आरंभ करने की तिथि से कम से कम साठ दिन की समाप्ति से पूर्व अपनी वेबसाइट पर एक विवरणिका प्रकाशित और/अथवा अपलोड करेगा, जिसमें इस तरह के संस्थान में प्रवेश लेने के इच्छुक व्यक्तियों और आम जनता की जानकारी के लिए निम्नवत् जानकारी अंतर्विष्ट होगी, यथा;
- (क) प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के कार्यक्रम के लिए, शिक्षण के घंटों, व्यावहारिक सत्रों और अन्य कार्य के साथ-साथ अध्ययन के कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की सूची सहित उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरण अथवा संस्थान, जैसा भी मामला हो, द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम की व्यापक रूपरेखा;
- (ख) जिस शिक्षा वर्ष हेतु प्रवेश दिए जाने का प्रस्ताव हो, उसके प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के कार्यक्रम के संबंध में उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सीटों की संख्या;
- (ग) संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विशेष पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम में छात्र के रूप में प्रवेश के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा सहित शैक्षिक योग्यता और पात्रता की शर्तें;
- (घ) इस प्रकार के प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया, जिसमें प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के लिए परीक्षा या इम्तहान के विवरण के संबंध में सभी संगत जानकारी और प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क की राशि शामिल है;
- (ङ) किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में अध्ययन करने के लिए ऐसे संस्थान में भर्ती किए गए छात्रों द्वारा देय शुल्क, जमा राशियों और अन्य प्रभारों के प्रत्येक घटक और ऐसे भुगतानों की अन्य निबंधन और शर्तें;
- (च) शास्ति लगाए जाने और संग्रहण किए जाने हेतु नियम/विनियम, विनिर्दिष्ट शीर्ष अथवा श्रेणियां, लगाए जाने वाली शास्ति की न्यूनतम और अधिकतम राशि;
- (छ) ऐसे संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों द्वारा यदि पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के पूरा होने से पहले अथवा के बाद दाखिला छोड़ दिया जाता है तो छात्रोंको प्रतिदाय किए जाने वाले शिक्षण शुल्क और अन्य प्रभारों का प्रतिशत तथा समय सीमा जिसके भीतर तथा पद्धति जिससे छात्रोंको ऐसा प्रतिदाय किया जाएगा;
- (ज) उनकी शैक्षिक योग्यता शिक्षण संकाय का विवरण, उनकी नियुक्ति का स्वरूप (नियमित/अभ्यागत/अतिथि) और उसके प्रत्येक सदस्य के शिक्षण अनुभव के साथ;
- (झ) भौतिक और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे और छात्रावास तथा इसके शुल्क, पुस्तकालय, चिकित्सालय अथवा उद्योग, जहां छात्रोंको व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना हो, सहित अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी और विशेषरूप से छात्रों द्वारा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने पर प्राप्त होने वाली सुविधाओं का ब्यौरा अंतर्विष्ट हो;

- (ज) संस्थान के परिसर के भीतर अथवा बाहर छात्रों द्वारा अनुशासन बनाए रखने के संबंध में सभी संगत निदेश और विशेषरूप से किसी छात्र अथवा छात्रों की रैगिंग निषिद्ध करने संबंधी ऐसे अनुशासन को बनाए रखने और उनका उल्लंघन किए जाने के परिणामों और संगत सांविधिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में तैयार किए गए किसी विनियम के उपबंधों का उल्लंघन किए जाने के परिणामों का ब्योरा अंतर्विष्ट होगा; तथा
- (ट) आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य जानकारी:  
बशर्ते प्रत्येक संस्थान इस विनियम के खंड (क) से (ट) में उल्लिखित जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित/अपलोड करेगा और विभिन्न समाचार-पत्रों और अन्य मीडिया के माध्यम से प्रमुखता से प्रदर्शित करते हुए विज्ञापनों के माध्यम से इच्छुक छात्रों और आम जनता का ध्यान वेबसाइट पर इस तरह के प्रकाशन की ओर दिलाया जाएगा।
2. प्रत्येक संस्थान अपनी विवरणिका की प्रत्येक मुद्रित प्रति का मूल्य निर्धारित करेगा, जोकि विवरणिका के प्रकाशन और वितरण की उचित लागत से अधिक नहीं होगी और विवरणिका के प्रकाशन, वितरण या बिक्री से कोई लाभ अर्जित नहीं किया जायेगा।

### 5. छात्र शिकायत निवारण समितियां (एसजीआरसी)

- (i) संस्थान से संबंधित किसी पीड़ित छात्र की किसी भी शिकायत छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) के अध्यक्ष को संबोधित की जाएगी।
- (ii) प्रत्येक संस्थान छात्रों की शिकायतों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित संरचना के साथ उतनी संख्या में छात्रों की शिकायत निवारण समितियों (एसजीआरसी) का गठन करेगा, जितने कि आवश्यकता हो सकती है, नमतः
- क) एक प्रोफेसर – अध्यक्ष
- ख) संस्थान के चार प्रोफेसर/वरिष्ठ संकाय सदस्य- सदस्य के रूप में।
- ग) शैक्षिक योग्यता/खेल-कूद में उत्कृष्टता/सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर नामित किए जाने वाले छात्रों में से एक प्रतिनिधि- विशेष आमंत्रित।
- घ) अध्यक्ष अथवा कम से कम एक सदस्य का महिला होना चाहिए तथा कम से कम एक सदस्य अथवा अध्यक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए।
- ङ) अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- च) विशेष आमंत्रित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।
- छ) बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित लेकिन विशेष आमंत्रित व्यक्ति को छोड़ कर तीन का होगा।
- ज) एसजीआरसी अपने समक्ष आने वाली शिकायतों पर विचार करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा।
- झ) एसजीआरसी अपनी रिपोर्ट सिफारिशों के साथ, यदि कोई हो, संबंधित संस्था के सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा और उसकी एक प्रति पीड़ित छात्र को, अधिमानतः शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 15 कार्य दिवसों की अवधि के अंदर भेजेगा।
- ञ) छात्रों की शिकायत निवारण समिति के निर्णय से पीड़ित कोई भी छात्र इस प्रकार के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है।

### 6. लोकपाल की नियुक्ति, सेवाकाल, पद से हटाया जाना और सेवा की शर्तें:

- (i) प्रत्येक विश्वविद्यालय इन विनियमों के तहत विश्वविद्यालय के छात्रों और महाविद्यालय /विश्वविद्यालय से जुड़े संस्थानों के छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल की नियुक्ति करेगा।

- (ii) एसजीआरसी के निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलों को सुनने और उन पर निर्णय लेने के लिए लोकपाल के रूप में नामित एक या अधिक अंशकालिक पदाधिकारी होंगे।
- (iii) लोकपाल सेवानिवृत्त कुलपति या सेवानिवृत्त प्रोफेसर (जिन्होंने अधिष्ठाता (डीन)/विभाग प्रमुख के रूप में काम किया हो) होंगे और उनके पास राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालयों/राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों/सम विश्वविद्यालयों या पूर्व जिले में न्यायाधीश के रूप में 10 वर्ष का अनुभव रहा हो।
- (iv) लोकपालनियुक्ति के समय, नियुक्ति से पहले एक वर्ष के दौरानया लोकपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, संस्थान के साथ हितों के टकराव में नहीं होंगे जहाँ उनके व्यक्तिगत संबंध, पेशेवर संबद्धता या वित्तीय हित समझौता कर सकते हैं या उचित रूप से संस्थान के प्रति निर्णय की स्वतंत्रता से समझौता करने के लिए प्रतीत हो सकते हैं।
- (v) लोकपाल को पद ग्रहण करने की तिथि सेतीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाएगाऔर एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
- (vi) सुनवाई का संचालन करने के लिएलोकपाल को संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रति दिनप्रति बैठक के अधार पर शुल्क का भुगतान किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, वे यात्रा पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।
- (vii) कदाचार या दुर्व्यवहार के सिद्ध आरोपों पर विश्वविद्यालय लोकपाल को पद से हटा सकता है।
- (viii) लोकपाल को हटाने का कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि इस संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जांच नहीं कर ली जाती है, जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पद से नीचे के पद का व्यक्ति ना हो, और जिसमें लोकपाल को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो।

#### 7. लोकपाल के कार्यकरण:

- (i) लोकपाल, छात्र द्वारा इन विनियमों के तहत उपबंधित सभी विकल्पों को अपनाने के पश्चात् ही पीडितछात्र की अपील की सुनवाई करेंगे।
- (ii) यद्यपि, परीक्षा के संचालन में अथवा मूल्यांकन की प्रक्रिया में गड़बड़ी के मुद्दों को लोकपाल को संदर्भित किया जा सकता है, तथापि, लोकपाल द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन अथवा अंको को पुनः योग करने हेतु कोई अपील अथवा आवेदन पर लोकपाल द्वारा सुनवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि भेदभाव की किसी विशिष्ट घटना के परिणामों को प्रभावित करने वाली किसी विशिष्ट अनियमितता को इंगित नहीं किया जाता है।
- (iii) लोकपाल, कथित रूप से किए गए भेदभाव की शिकायतों की सुनवाई करने के लिएन्याय मित्र के रूप में किसी भी व्यक्ति की सहायता प्राप्त कर सकता है।
- (iv) लोकपाल पीडितछात्र (छात्रों)से अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान करनेके लिए सभी प्रयास करेंगे।

#### 8. लोकपाल तथा छात्र शिकायत निवारण समितियों द्वारा शिकायतों के निवारण हेतु प्रक्रिया

- (i) प्रत्येक संस्थान,इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर एक ऑनलाइनपोर्टल तैयार करेगा, जहां कोई भी पीडितछात्र अपनी शिकायत के निवारण के लिए आवेदन कर सकता है।

- (ii) ऑनलाइन शिकायत प्राप्त होने पर संस्थान, ऑनलाइन शिकायत की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियों सहित शिकायत को उपर्युक्त छात्र शिकायत निवारण समिति को भेजेगा।
- (iii) छात्र शिकायत समिति, जैसा भी मामला हो, शिकायत की सुनवाई के लिए एक तिथि निर्धारित करेगी जिसकी जानकारी संस्थान और पीड़ित छात्र को दी जाएगी।
- (iv) पीड़ित छात्र या तो व्यक्तिगत रूप से पेश हो सकता है अथवा अपना पक्ष रखने के लिए अपने किसी प्रतिनिधि को अधिकृत कर सकता है।
- (v) छात्र शिकायत निवारण समिति द्वारा समाधान नहीं की गई शिकायतों को इन विनियमों में उपबंधित समयवधि के भीतर लोकपाल को भेजा जाएगा।
- (vi) संस्थान, शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतु लोकपाल अथवा छात्र शिकायत निवारण समिति (समितियों), जैसा भी मामला हो, का सहयोग करेंगे।
- (vii) लोकपाल, संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, कार्यवाही के समापन पर, तत्संबंधी कारणों के साथ, इस प्रकार का आदेश पारित करेगा, जैसा कि शिकायत के निवारण के लिए उपयुक्त समझा जा सकता है और ऐसी राहत प्रदान कर सकता है जो पीड़ित छात्र के लिए उपयुक्त हो सकती है।
- (viii) संस्थान के साथ ही साथ पीड़ित छात्र को लोकपाल के हस्ताक्षर के तहत जारी की गई आदेश की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (ix) संस्थान, लोकपाल की सिफारिशों का अनुपालन करेगा।
- (x) जहां शिकायत झूठी या तुच्छ पाई जाती है उस स्थिति में लोकपाल शिकायतकर्ता के विरुद्ध उपर्युक्त कार्रवाई किए जाने की सिफारिश कर सकता है।

#### 9. लोकपाल और छात्र शिकायत निवारण समितियों के संबंध में जानकारी:

संस्थान अपनी वेबसाइट और अपनी विवरणिका में स्पष्ट रूप से इसके क्षेत्राधिकार में आने वाली छात्र शिकायत निवारण समिति(समितियों) तथा अपील किए जाने के प्रयोजनार्थ लोकपाल के संबंध में सभी संगत जानकारियां उपलब्ध कराएगा।

#### 10. अनुपालन नहीं किए जाने के परिणाम

आयोग, किसी भी संस्थान के संबंध में, जो जानबूझकर इन विनियमों का उल्लंघन करते हैं अथवा बार-बार लोकपाल या छात्र शिकायत निवारण समितियों की सिफारिश का पालन करने में विफल रहते हैं, जैसा भी मामला हो, जब तक संस्थान आयोग की संतुष्टि तक इन विनियमों का अनुपालन नहीं करता है, तब तक संस्थान के विरुद्ध निम्नवत् एक या एक से अधिक कार्यवाहियां की जा सकती हैं,

- क) अधिनियम की धारा 12बी के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्तता की घोषणा को वापस लेना;
- ख) संस्थान को आवंटित किसी अनुदान को रोका जा सकता है;
- ग) आयोग के किसी भी सामान्य अथवा विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत किसी भी सहायता को प्राप्त करने हेतु विचार किए जाने के लिए संस्थान को अयोग्य घोषित करना;
- घ) संस्थान को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए ऑनलाइन/मुक्त ओर दूरस्थ शिक्षा माध्यम से पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए अयोग्य घोषित करना;
- ङ) ऑनलाइन/ मुक्त ओर दूरस्थ शिक्षा माध्यम से पाठ्यक्रमों की पेशकश करने की स्वीकृति को वापस लेना/रोकना/निलंबित करना;

- च) उपयुक्त मीडिया में प्रमुखता से प्रदर्शित कर और आयोग की वेबसाइट पर पोस्ट कर प्रवेश हेतु संभावित अभ्यर्थियों सहित जनसाधारण को सूचित करना तथा इस बाबत घोषणा करना कि संस्थान में शिकायतों के निवारण के लिए न्यूनतम मानक मौजूद नहीं हैं;
- छ) महाविद्यालय के मामले में, संबद्धता को वापस लेने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय को सिफारिश करना;
- ज) सम विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में ऐसी कार्रवाई करना, जो आवश्यक, उचित एवं उपयुक्त हो;
- झ) सम विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषणा को वापस लिए जाने के लिए, यदि आवश्यक हो तो, केंद्र सरकार को सिफारिश करना;
- ञ) राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित अथवा निर्गमित विश्वविद्यालय के मामले में राज्य सरकार को आवश्यक एवं उचित कार्रवाई करने की सिफारिश करना;
- ट) गैर अनुपालना के लिए संस्थान के प्रति ऐसी कार्रवाई करना जो आवश्यक एवं उपयुक्त समझी जाए।

बशर्ते इन विनियमों के अंतर्गत आयोग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि संस्थान को अपनी स्थिति को स्पष्ट करने एवं उसके पक्ष को सुने जाने का अवसर नहीं दिया गया हो।

11. इन विनियमों में उल्लिखित कोई भी शर्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायत निवारण) विनियम, 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त किसी पदधारी लोकपाल के कार्यकाल की अवधि के दौरान उसके पद पर बने रहने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी; कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् लोकपाल की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) के विनियम, 2023 के अनुरूप की जाएगी।

प्रा. मनिष र. जोशी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./13/2023-24]